



JDS Foundation's

JDS PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE (10+2) ● Affiliation No: 2430445

A B Road, Panpur, PO- Narayanpur, PS- Basudebpur, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743126, W B

Ref No. : JDSPS/26-27/July/007(a)

Date: 7th July, 2026

Notice

Dear Parents and Students,


You are requested to take note of the following instructions regarding the school bus service and ensure strict compliance for the safety, discipline, and smooth functioning of the school transport system:

- 1. Students must reach their designated bus pickup point at least 5 minutes before the scheduled pickup time.**
- 2. During school examinations, students must reach the designated pickup point at least 10 minutes before the scheduled pickup time to ensure timely arrival at school.**
- 3. At the scheduled drop time, the parent/guardian must be present at the designated drop point with the Escort Card to receive the student. If a student is to be dropped without the presence of a parent/guardian, the concerned parent/guardian must submit a **written declaration** to the school authorising the same in advance.**
- 4. School bus fees must be paid on or before the 10th of every month. A late fine of **₹20 per day** will be levied for payments made after the due date.**

Your cooperation in adhering to the above instructions is highly appreciated.

Regards,

A. Datta SD/-
Principal



CC to:

1. Director's office;
2. Administrative officer;
3. Logistics & operation's office;
4. Account's office;
5. All teacher's & other staffs



JDS Foundation's

JDS PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE (10+2) ● Affiliation No: 2430445

A B Road, Panpur, PO- Narayanpur, PS- Basudebpur, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743126, W B

Ref No. : JDSPS/26-27/July/007(b)

Date: 7th July, 2026

বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,

স্কুল বাস পরিষেবা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন এবং স্কুলের পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে তা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে:

- শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের অন্তত **৫ মিনিট আগে** বাস পিক-আপ পয়েন্টে উপস্থিত হতে হবে।
- পরীক্ষার সময়**, স্কুলে যথাসময়ে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের অন্তত **১০ মিনিট আগে** বাস পিক-আপ পয়েন্টে পৌঁছাতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ে স্কুল ফেরত শিক্ষার্থীকে নেওয়ার জন্য অভিভাবককে অবশ্যই 'এসকর্ট কার্ড (Escort Card) সহ নির্দিষ্ট ড্রপ পয়েন্ট-এ উপস্থিত থাকতে হবে।
অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে যদি কোনো শিক্ষার্থীকে ড্রপ পয়েন্টে নামিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সংশ্লিষ্ট অভিভাবককে আগে থেকেই এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে একটি **লিখিত ঘোষণা / আবেদন** বা অনুমতিপত্র জমা দিতে হবে।
- স্কুল বাসের ফি **প্রতি মাসের ১০ তারিখ** বা তার আগেই জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে ফি জমা দিলে প্রতিদিন **২০ টাকা করে late fine** ধার্য করা হবে।

উপরোক্ত নির্দেশাবলী মেনে চলার ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আদেশানুসারে,

অধ্যক্ষ



CC to:

6. Director's office;
7. Administrative officer;
8. Logistics & operation's office;
9. Account's office;
10. All teacher's & other staffs



JDS Foundation's

JDS PUBLIC SCHOOL

Affiliated to CBSE (10+2) ● Affiliation No: 2430445

A B Road, Panpur, PO- Narayanpur, PS- Basudebpur, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743126, W B

Ref No. : JDSPS/26-27/July/007(c)

Date: 7th July, 2026

सूचना

प्रिय अभिभावकों और विद्यार्थियों,

कृपया स्कूल बस सेवा से जुड़े इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें; स्कूल की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की सुरक्षा, अनुशासन और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आपको इनको सही से पालन करना जरूरी है।

- 1) छात्रों को स्कूल से दिये गये निर्धारित समय से कम से कम **5 मिनट पहले** बस पिक-अप पॉइंट पर पहुँचना होगा।
- 2) **परीक्षाओं** के दौरान, छात्रों को स्कूल से दिये गये निर्धारित समय से कम से कम **10 मिनट पहले** बस पिक-अप पॉइंट पर पहुँचना चाहिए ताकि वे समय पर स्कूल पहुँच सकें।
- 3) तय समय पर स्कूल से लौटने पर छात्र को लेने के लिए अभिभावकों को '**एस्कॉर्ट कार्ड**' के साथ तय 'ड्रॉप पॉइंट' पर मौजूद रहना होगा।
अगर अभिभावक की गैर-मौजूदगी में छात्र को ड्रॉप पॉइंट पर छोड़ना ज़रूरी हो जाता है, तो संबंधित अभिभावक को पहले से ही स्कूल अधिकारियों को **लिखित** घोषणा, **आवेदन** या अधिकार-पत्र (लेटर ऑफ़ ऑथराइज़ेशन) जमा करना होगा।
- 4) स्कूल बस की फ़ीस हर महीने की 10 तारीख़ या उससे पहले जमा करनी होगी। अगर तय तारीख़ के बाद फ़ीस जमा की जाती है, तो हर दिन ₹20 का लेट फ़ाइन लगेगा।

आपसे अनुरोध है कि ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करने में सहयोग करें।

आदेशानुसार,

A. Datta
प्रधानाचार्य

CC to:

11. Director's office;
12. Administrative officer;
13. Logistics & operation's office;
14. Account's office;
15. All teacher's & other staffs